



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26331

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1979/2026

डॉ. राहुल शर्मा एवं अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : अंकित कुमार राय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार राय द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल दयाल, विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. सिंह को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाए कि वे राजस्व अभिलेख में मौजा उतवारा, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ में स्थित प्रश्नगत भूमि आराजी संख्या 140 मिनजुमला रकबा 3.065 हेक्टेयर की श्रेणी को श्रेणी 5-3 'A' से बदलकर श्रेणी 1 'A' में निर्धारित समय सीमा के भीतर सही करें।
3. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि याची अपना दावा प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ के समक्ष प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वे इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
4. पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जिसमें याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को व्यक्त करते हुए एक नया प्रत्यावेदन देने की अनुमति दी गई है, जैसा कि उनके द्वारा वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया है। यदि याची द्वारा ऊपर बताए गए समय के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष ऐसा कोई प्रत्यावेदन दायर किया जाता है, तो उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः उनके समक्ष याची द्वारा ऐसा प्रत्यावेदन दाखिल करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करें, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 6, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"